

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 91/2024

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. गुणेशाराम पुत्र चिमनाराम		राज्य सरकार बजरिए तहसीलदार
2. प्रतापाराम पुत्र चिमनाराम जाति मेघ्नावाल निवासी लूणाकंला तहसील सिणधरी		सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान मू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :-

- श्री अर्जुनराम प्रजापत प्रार्थीगण उपस्थित।
- नायब तहसीलदार (तहसील कार्यालय)राज.पैरोकार विप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक- 04.04.2025

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी खेत खसरा संख्या 326/127 रकबा 1.0922 हैक्टेयर तथा प्रार्थी सं. 2 के खसरा संख्या 327/127 रकबा 1.0922 हैक्टेयर एवं प्रार्थीगण का संयुक्त खेत खसरा संख्या 328/127 रकबा 0.0242 हैक्टेयर मौजा लूणाकंला, पटवार मण्डल लूणाकंला, तहसील सिणधरी में अवस्थित है, कि मूल खसरा संख्या 127 से विभक्त होकर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हुए। वक्त विभाजन नवसृजित उपरोक्त खसरान की तरमीम मौके पर

राजस्व उपखण्ड अधिकारी



धमान प्रार्थीगण के कब्जे काशत अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जाकाशत के विपरित लट्टा ट्रेस में कर दी गई जबकि मौके पर प्राथीगण का कब्जा काशत जिसमें प्राथीगण की रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाडे आदि बने हुए है, राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम से विपरित स्थान पर है। अतः विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरुस्ती करवानें हेतु यह आवेदन पेश किया गया है।

2 प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी की ओर से नायब तहसीलदार(तहसील कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिपोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.उभयपक्ष की बहस सुनी कि प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी खेत खसरा संख्या 326/127 रकबा 1.0922 हैक्टेयर तथा प्रार्थी सं. 2 के खसरा संख्या 327/127 रकबा 1.0922 हैक्टेयर एवं प्रार्थीगण का संयुक्त खेत खसरा संख्या 328/127 रकबा 0.0242 हैक्टेयर मौजा लूणाकलां, पटवार मण्डल लूणाकलां, तहसील सिणधरी में अवस्थित है, कि मूल खसरा संख्या 127 से विभक्त होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुए। वक्त विभाजन नवसृजित उपरोक्त खसरान की तरमीम मौके पर विद्यमान प्रार्थीगण के कब्जे काशत अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जाकाशत के विपरित लट्टा ट्रेस में कर दी गई जबकि मौके पर प्राथीगण का कब्जा काशत जिसमें प्राथीगण की रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाडे आदि बने हुए है, राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम से विपरित स्थान पर है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 22.12.2024 में तरमीम दुरुस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लट्टा नक्शा में तरमीम दुरुस्ती करवानें का आदेश फरमावें।

4.विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया,कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5.हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी खेत खसरा संख्या 326/127 रकबा 1.0922 हैक्टेयर तथा प्रार्थी सं. 2 के खसरा संख्या 327/127 रकबा 1.0922 हैक्टेयर एवं प्रार्थीगण का संयुक्त खेत खसरा संख्या 328/127 रकबा 0.0242 हैक्टेयर मौजा लूणाकलां, पटवार मण्डल लूणाकलां, तहसील सिणधरी में अवस्थित है, कि मूल खसरा संख्या 127 से विभक्त होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुए। वक्त विभाजन नवसृजित उपरोक्त खसरान की तरमीम मौके पर विद्यमान प्रार्थीगण के कब्जे काशत अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जाकाशत के विपरित लट्टा ट्रेस में कर दी गई जबकि मौके पर प्राथीगण का कब्जा काशत जिसमें प्राथीगण की रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाडे आदि बने हुए है, राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम से विपरित स्थान पर है। एवं तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काशत के विपरित लट्टा नक्शा में

मार्ग की तरमीम हो रखी है, जो कि गलत तरमीम हो रखी है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार सिणधरी मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 22.12.2024 से होता है, इस प्रकार प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त से विपरीत सड़क मार्ग की तरमीम होने के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति भी हो रही है, जबकि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम होनी चाहिए। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहें और तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिपोर्ट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरुस्त करने की अनुशांषा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है, कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम नहीं हो रखी है। जो प्रार्थीगण मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्त करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी खेत खसरा संख्या 326/127 रकबा 1.0922 हैक्टेयर तथा प्रार्थी सं. 2 के खसरा संख्या 327/127 रकबा 1.0922 हैक्टेयर एवं प्रार्थीगण का संयुक्त खेत खसरा संख्या 328/127 रकबा 0.0242 हैक्टेयर मौजा लूणाकलां, पटवार मण्डल लूणाकलां, तहसील सिणधरी भूमि की विद्यमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट क्रमांक 3311 दिनांक 23.12.2024 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाते हैं, उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 04.04.2025 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी